

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
मांग संख्या 41  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	719.17	...	719.17	1196.60	...	1196.60	1042.79	...	1042.79	1232.94	...	1232.94
<i>वसूलियां</i>	-2.47	...	-2.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	716.70	...	716.70	1196.60	...	1196.60	1042.79	...	1042.79	1232.94	...	1232.94
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	25.08	...	25.08	27.00	...	27.00	29.39	...	29.39	32.16	...	32.16
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.31	...	0.31	0.16	...	0.16	0.32	...	0.32	0.16	...	0.16
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>25.39</b>	...	<b>25.39</b>	<b>27.16</b>	...	<b>27.16</b>	<b>29.71</b>	...	<b>29.71</b>	<b>32.32</b>	...	<b>32.32</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
3. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना	591.63	...	591.63	1101.00	...	1101.00	889.43	...	889.43	1081.41	...	1081.41
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी)	24.20	...	24.20	32.00	...	32.00	77.50	...	77.50	77.89	...	77.89
5. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)	77.95	...	77.95	36.44	...	36.44	46.15	...	46.15	41.32	...	41.32
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>102.15</b>	...	<b>102.15</b>	<b>68.44</b>	...	<b>68.44</b>	<b>123.65</b>	...	<b>123.65</b>	<b>119.21</b>	...	<b>119.21</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>102.15</b>	...	<b>102.15</b>	<b>68.44</b>	...	<b>68.44</b>	<b>123.65</b>	...	<b>123.65</b>	<b>119.21</b>	...	<b>119.21</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
6. वास्तविक वसूलियां	-2.47	...	-2.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>716.70</b>	...	<b>716.70</b>	<b>1196.60</b>	...	<b>1196.60</b>	<b>1042.79</b>	...	<b>1042.79</b>	<b>1232.94</b>	...	<b>1232.94</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	691.63	...	691.63	1059.50	...	1059.50	924.46	...	924.46	1092.64	...	1092.64
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.07	...	25.07	27.00	...	27.00	29.39	...	29.39	32.16	...	32.16
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>716.70</b>	<b>...</b>	<b>716.70</b>	<b>1086.50</b>	<b>...</b>	<b>1086.50</b>	<b>953.85</b>	<b>...</b>	<b>953.85</b>	<b>1124.80</b>	<b>...</b>	<b>1124.80</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	110.10	...	110.10	88.94	...	88.94	108.14	...	108.14
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>110.10</b>	<b>...</b>	<b>110.10</b>	<b>88.94</b>	<b>...</b>	<b>88.94</b>	<b>108.14</b>	<b>...</b>	<b>108.14</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>716.70</b>	<b>...</b>	<b>716.70</b>	<b>1196.60</b>	<b>...</b>	<b>1196.60</b>	<b>1042.79</b>	<b>...</b>	<b>1042.79</b>	<b>1232.94</b>	<b>...</b>	<b>1232.94</b>

1. **सचिवालय:** प्रावधान, मंत्रालय के सचिवालय व्यय के अंतर्गत किया गया है।

2. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** प्रावधान वाइन और वेल (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में योगदान के लिए है

3. **प्रधान मंत्री किसान सम्मदा योजना:** निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रावधान किया गया है: (क) मेगा फूड पार्क स्कीम; (ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम; (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना।

4. **भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी):** यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम):** प्रावधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।